



Neutral Citation No.- 2026:एचसी:124516

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19035 वर्ष 2026

हरेंद्र विश्वकर्मा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : अविनाश कुमार, राम आसरे

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

9. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राम आसरे, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

10. यह वर्तमान जमानत आवेदन केस अपराध संख्या 945 वर्ष 2025, आईपीसी की धारा 420, 406, 504, 506 और 376, पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला देवरिया के तहत विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

11. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एफआईआर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक, सह-आरोपी और प्रथम मुखबिर के बीच पैसों को लेकर विवाद है, जो आवेदक और सह-आरोपी व्यक्तियों द्वारा 2015 से 2023 की अवधि के दौरान लिए गए थे। बाद में, केवल आवेदक पर दबाव बनाने के लिए, पिछले एक साल से बलात्कार का आरोप लगाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एफआईआर और प्रथम मुखबिर का बयान यह भी दिखाता है कि वह बिना किसी विरोध के लगातार आवेदक के साथ रह रही थी, पहले बॉम्बे में और बाद में

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जालंधर में, और एफआईआर में उल्लिखित किसी भी ऐसे वीडियो की बरामदगी नहीं हुई है, जिसे कथित तौर पर आवेदक द्वारा उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

12. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक और प्रथम मुखबिर के बीच मौद्रिक विवाद के कारण आवेदक को वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 24.04.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की शर्तों का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

13. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

14. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों के भारी बोझ को ध्यान में रखते हुए, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश को देखते हुए, जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में रिपोर्ट किया गया है, और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देश को देखते हुए, जो 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 में रिपोर्ट किया गया है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है

15. आवेदक-**हरेंद्र विश्वकर्मा**, जो उपरोक्त अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के साथ, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:

i- आवेदक सीधे या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii- आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से विचारण/जांच में सहयोग करेगा।

iii- जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध करने में शामिल नहीं होगा।

iv- आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. बांड स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

10. आवेदक के साथ-साथ जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह आगे निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह **31.01.2023** को दिए गए (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किए गए जमानत देने के लिए नीति रणनीति, इन री: सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021 मामले और 29.05.2026 को निर्णित रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169 वर्ष 2025, पिला पाहन उर्फ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर देवरिया जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल पर आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

2 जून, 2026

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।